संख्या-636/2025/1815/41-1-2025/CN-1700492/2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **10** जुलाई, 2025

विषय:- जनपद संतकबीरनगर के मुकुन्दपुर नार्थ रिवर फ्रण्ट के किनारे का पर्यटन विकास तथा जनपद संतकबीरनगर के नाथनगर टिकोईकोल के उत्तर बाबा लक्ष्मीदास कुटी का पर्यटन विकास, रिटेनिंगवाल, पौधारोपण, प्रकाश व्यवस्था, चाहरदिवारी, जल संरक्षण एवं अन्य विकास कार्य तथा सौन्दर्यीकरण कार्यकी परियोजनाओं को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-191375/6-1-1/(1217)/2024, दिनांक 24 जून, 2025का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजनाओं को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किशासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्तजनपद संतकबीरनगर के मुकुन्दपुर नार्थ रिवर फ्रण्ट के किनारे का पर्यटन विकास हेतुशासनादेशसं0-348/2023/आई/296857/001-41-1002-001-63-2023-211-Budget-2023, दिनांक 31मार्च, 2023तथा जनपद संतकबीरनगर के नाथनगर टिकोईकोल के उत्तर बाबा लक्ष्मीदास कुटी का पर्यटन विकास, रिटेनिंगवाल, पौधारोपण, प्रकाश व्यवस्था, चाहरदिवारी, जल संरक्षण एवं अन्य विकास कार्य तथा सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु शासनादेशसं0-963/2023/आई/452906/001-41-1002-001-309-2023-CN-1765745-2023,दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की गयी क्रमश: धनराशि रूपये 155.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) एवं रूपये200.00 लाख(रूपये दो करोड़ मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में तत्काल जमा कराते हुए चालान की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, संत कबीर नगर।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल,बस्ती।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।